न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—91/2017/223 (2017/00091)

गोकुल पुत्र नाथू **(मृतक) जरिये वारिसानः—**

1/1— प्रहलाद पुत्र गोकुल,
1/2— श्रीमती हगामी पतिन स्व0 हजारी पुत्र स्व0 गोकुल,
1/3— रामधन पुत्र स्व0 हजारी पुत्र स्व0 गोकुल,
1/4— रामकिशन पुत्र स्व0 हजारी पुत्र स्व0 गोकुल,
1/5— राधाकिशन पुत्र स्व0 हजारी पुत्र स्व0 गोकुल,
समस्त निवासीगण देवलियाकलां, तह0 भिनाय हाल मुकाम देवरिया, तहसील सरवाड, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवलियाकलां, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
3. रामा पुत्र नाथू, जाति बैरवा, नि0 देवरिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, दिनांक 11.01.2017 अंतर्गत वाद संख्या 168/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मनीष व्यास, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित .

निर्णय

दिनांकः—08.10.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 2563, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम देवलियाकलां, तह0 भिनाय में अवस्थित है, जिसके खातेदार संवत् 2015 से 2018 में नाथू वल्द जयराम चमार था । नाथू के निधन के बाद अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बंदोबस्त विभाग ने विवादित आराजियात को शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः दुरूस्त किया जाकर

अपीलांटस के नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण/अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 2563, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम देवलियाकलां, तह0 भिनाय का खातेदार नाथू वल्द जयराम चमार था तथा नाथू की मृत्यु उपरांत वादीगण/अपीलांटस विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विवादित भूमि का नामांतकरण उपलब्ध था जिसमें राज्य सरकार के आदेशानुसार नाथू की खातेदारी को निरस्त करके प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज की गई है राज0काश्त0अधि0 में खातेदारी निरस्त करने बाबत् प्रावधान दिये हुए है तथा उन्हीं प्रावधानों के तहत ही खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है जबकि अपीलांटस के प्रकरण में बंदोबस्त विभाग ने सीधे ही वादीगण/अपीलांटस के खातेदारी अधिकार समाप्त कर विवादित आराजियात सीधे ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वादीगण ने वाद प्रस्तुत प्रस्तुत किया है जिसमें कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है । वादीगण अपनढ़ व्यक्ति है जिन्हें कानून की बारीकियों का ज्ञान नहीं है । मान0 उच्चत्तम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने भी मियाद के संबंध में यह निर्धारित किया है कि मियाद के आधार पर किसी व्यक्ति के हक, स्वत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है यदि प्रकरण गुणावगुण पर महत्व रखता हो तो न्यायालय को मियाद के प्रश्न पर नरम रूख अपनाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांटस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिस पर अपीलांटस/वादीगण ही लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांटस के पिता द्वारा कभी भी विवादित आराजियात को विक्रय, बक्शीश नहीं किया गया है और न ही सरकार को लिखित में समर्पण ही किया है । रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा जिस ठेके पर विवादित आराजियात देने बाबत् पत्र पेश किया गया है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 2 का कब्जा है तथा न ही ठेके की पुष्टि बाबत् कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की थी । बहस में आगे कथन किया कि धारा 19 राज0काश्त0अधि0 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र या दावा प्रस्तुत करके ही खातेदारी समाप्त की जा सकती है । विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष प्रत्यर्थी का कोई प्रतिवाद काउन्टर क्लेम भी नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 5 में अपीलांटस/वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की आज्ञाप्ति पारित की है जो विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि

अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 6 का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत किया है क्योंकि धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत यदि कोई पूर्व का खाता बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के बदल दिया जाता है तो लेण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार बनाकर खाता पुनः बहाल करवाया जाता है चाहे सरकार ने भूमि को किसी अन्य को अलोट किया है यह कोई मायने नहीं रखता है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2017 अपास्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2005 पेज 791 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने अधिवक्ता श्री नवलकिशोर जी से मार्च 2017 में सपंर्क करने पर जानकारी हुई कि कि उनका वाद दिनांक 11.1.2017 को खारिज कर दिया गया है । तत्पश्चात् प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की नकल हेतु दिनांक 24.3. 2017 को आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 28.3.2017 को नकल प्राप्त हुई । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है एवं प्रकरण में प्रार्थी के हित निहित है इसलिये विलंब के संबधं में नरम रूख अपनाया जावे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की और से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 55 दिना।क 20.4.1960 से राजस्व रिकार्ड में शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है । शिक्षा विभाग द्वारा विवादित आराजियात सन् 1995 से बुवाई, घास चराई के लिये नीलाम की जाती है । विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही कब्जे काश्त के संबंध में अपीलांटस ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । विद्वान वकील पैरोकार सरकार ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस द्वारा नामांतकरण संख्या 55 को निरस्त कराने हेतु भी अब तक कोई चाराजोही नहीं की है । वादीगण/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है इसलिय अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू से किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है अतः हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 55 दिनांक 20.4.1960 से रेस्पो0 संख्या 2 स्कूल के नाम दर्ज की गई है । उक्त नामांतकरण में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलांटस के पूर्वज नाथू वल्द जयराम जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 347 में खातेदार दर्ज हुए थे किन्तु राज्य सरकार के परिपत्र संख्या

एफ–6(20)राजस्व(बी–59) दिनांक 19.2.1960 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी तरीके से खातेदार दर्ज किया जाना पाने से विवादित भूमि को पुनः सरकारी खाते में लगाने के बजाय रेस्पो0 संख्या 2 के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस ने नामांतकरण संख्या 55 यदिनांक 204.2.1960 को चुनौती दिये जाने के बजाय खातेदारी घोषणा का वाद 41 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया है जो निश्चित रूप से भारी मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है । हम अपीलांटस के इस कथन से सहमत नहीं है कि धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के लिये कोई मियाद निर्धारित नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 2 स्कूल का कब्जा काश्त है जिसकी पुष्टि में रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा विवादित आराजियात पर बुवाई और घास चराई हेतु विभिन्न वर्षो में ठेके पर दिये जाने के संबंध में ठेके की रसीदें प्रस्तुत की है जिससे भी विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 2 के कब्जे की पुष्टि होती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलांटस ने विवादित भूमि शिक्षा विभाग के नाम दर्ज होने के बावजूद केवल मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाया है जबकि प्रकरण में शिक्षा विभाग एवं जिला कलक्टर भी आवयक पक्षकार थे । इस प्रकार वादीगण/अपीलांटस का वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के अभाव में भी संधारण योग्य नहीं था । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से वादीगण का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर